एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम अंतर्गत राज्यस्तरीय नोडल एजेंसी (SLNA) की चतुर्थ बैठक का कार्यवाही विवरण

दिनांक 20/10/2011

मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में दिनांक 20/10/2011 को **राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी** की चतुर्थ बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यगण एवं अधिकारियों की सूची **परिशिष्ट–1** में संलग्न है। बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:–

सर्वप्रथम प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अध्यक्ष, **SLNA** मुख्य सचिव महोदय, छत्तीसगढ़ शासन तथा विभिन्न विभागों से उपस्थित राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के सदस्यों का स्वागत व परिचय प्राप्त किया गया।

प्रमुख सचिव द्वारा राज्य में एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) के परियोजनाओं के आधारभूत उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए जानकारी दी गई कि जलग्रहण क्षेत्रों के चयन से लेकर उसके उपचार हेतु निर्धारित पद्धतियों में कार्य के तकनीकी पक्षों एवं गुणवत्ता के साथ–साथ समूह विकास एवं आजीविका संवर्धन के कार्य को प्रमुखता से किया जाता है। विभाग की महात्मा गांधी नरेगा स्कीम जो कि मुख्यतः रोजगार सृजन के उद्देश्य की पूर्ति हेतु की जा रही है, से अलग, जलग्रहण योजनाओं में भारत सरकार से प्राप्त राशि किसी एक निश्चित जलग्रहण क्षेत्र के उपचार के लिए 5–7 वर्ष तक के विस्तृत समयबद्ध कार्यक्रम अनुरूप की जाती है।

राज्य में जलग्रहण परियोजनाओं की अगस्त 2011 तक की प्रगति के संबंध में अवगत कराया गया कि परियोजनाओं में कुल प्राप्त आबंटन के विरूद्ध 10 प्रतिशत व्यय किया गया है अतः राज्य में जलग्रहण क्षेत्र विकास हेतु परियोजना क्रियान्वयन स्तर से राज्य स्तर तक व्यापक सुधार के विशेष उपाय किये जा रहें है।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा जलग्रहण क्षेत्र विकास में मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे विभिन्न राज्यों में हुये अच्छे कार्यो की भांति राज्य के सभी जिलों में आदर्श जलग्रहण क्षेत्रों को विकसित किये जाने के निर्देश दिये गये।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO), SLNA द्वारा बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया:–

एजेण्डा–1 : राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी की तृतीय बैठक दिनांक 01.05.2010 में लिये गये निर्णय एवं कार्यवाही का पालन किये जाने की जानकारी व पुष्टि की गई।

एजेण्डा–2 : जलग्रहण परियोजनाओं की प्रगति से अवगत कराया गया।

निर्णय :– मुख्य सचिव महोदय द्वारा वित्तीय एवं भौतिक स्थिति को लक्ष्य अनुरूप प्राप्त किये जाने के विशेष प्रयास करने के निर्देश दिये गये।

एजेण्डा–3 : वर्ष 2010–11 में स्वीकृत 74 IWMP परियोजनाओं की स्वीकृति।

CEO, SLNA द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में कुल 74 IWMP परियोजनाएं लागत रू. 35,776.32 लाख की 2,98,136.15 हेक्टर के उपचार हेतु स्वीकृति आदेश जारी किये गये। जिसमें 56 शासकीय एवं 18 स्वयं सेवी संस्थाओं की परियोजनाएं है। जिनकी स्वीकृति का कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :– प्रस्ताव को सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

3(क): वर्ष 2010–11 हेतु स्वीकृत IWMP परियोजनाओं के डी.पी.आर. निर्माण हेतु दिशा–निर्देश

CEO-SLNA द्वारा अवगत कराया गया कि डी.पी.आर. के गुणवत्ता को और बेहतर बनाने एवं जन सहभागिता बढ़ाने हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये। इसके साथ ही डी.पी.आर. निर्माण हेतु आधारभूत आंकड़ो का संग्रहण (प्रपत्र) एवं Template भी जारी किया गया। जिसे अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :– मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि दिशा–निर्देशों को मैदानी अमलों का सही प्रकार से समझाने की व्यापक व्यवस्था की जाये एवं डी.पी.आर. एवं वार्षिक कार्ययोजना के दिशा–निर्देश के प्रारूप पर सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

3(ख): IWMP परियोजनाओं के सम्पत्तिहीन के अजीविका संबंधी गतिविधियॉं, उत्पादन प्रणाली एवं लघु उद्यम मद में उपलब्ध राशि के उपयोग के लिए दिशा निर्देश।

CEO-SLNA द्वारा एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम में आजीविका हेतु विशेष रूप से राशि प्रावधानित की गयी है जिसमें से 09 प्रतिशत की राशि सम्पतिहीन/भूमि हीन हेतु एवं 10 प्रतिशत की राशि उत्पादन तंत्र एवं सूक्ष्म उद्यमो हेतु रखा गया है। वर्ष 2009 –10 की परियोजना हेतु भारत शासन से दिशा–निर्देश प्राप्त न होने तक उक्त राशि का उपयोग किये जाने हेतु SLNA द्वारा तैयार दिशा–निर्देश जारी किया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय :– दिशा–निर्देश सर्वसम्मिति से अनुमोदित किया गया। मुख्य सचिव महोदय द्वारा समूहों में ऐसी भावना विकसित किये जाने के प्रयास किये जाये कि उनमें लिये गये राशि को वापस करने की समझ व प्रवृत्ति बने।

एजेण्डा–4 : वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में स्वीकृत परियोजनाओं के PIA परिवर्तन का कार्योत्तर अनुमोदन

CEO-SLNA द्वारा जिला बस्तर एवं जशपुर से परियोजना में नियुक्त PIA के संशोधन हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर राज्य शासन द्वारा PIA परिवर्तन की गयी कार्यवाही अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई।

निर्णय :– कृत कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा 5 : SLNA हेतु स्वीकृत पदों एवं पदपूर्ति की जानकारी

CEO-SLNA द्वारा राज्य शासन द्वारा विभाग के अंतर्गत विकास आयुक्त कार्यालय में जलग्रहण क्षेत्र विकास प्रकोष्ठ के अंतर्गत विभाग के ज्ञापन क्रमांक 4878/वि–2/स्था/2004, दिनांक 19.10.2004 द्वारा स्वीकृत 14 पदों को समाहित करते हुए राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी अंतर्गत कुल 19 पदों में 06 रिक्त पदों (पर्यवेक्षण अधिकारी 02, लेखाधिकारी 01, लेखासहायक 01, शीध्र लेखक 01 तथा सहायक ग्रेड–दो 01) की जानकारी दी गई।

CEO-SLNA द्वारा बताया गया कि लेखाधिकारी के पदों पर वित्त विभाग से प्रतिनियुक्ति पर अथवा सेवानिवृत्त अधिकारी को लिये जाने के निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए है।

निर्णय :– SLNA के रिक्त पदों पर तत्काल पदपूर्ति की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

एजेण्डा–6 : IWMP अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर पदों की स्वीकृति बाबत्

6(अ): जिला जलग्रहण विकास इकाई अंतर्गत अतिरिक्त 03 तकनीकी विशेषज्ञ की नियुक्ति विषयक

CEO-SLNA द्वारा अवगत कराया गया जिला स्तरीय जलग्रहण प्रकोष्ठ, 16 जिला पंचायत के लिए वित्त विभाग द्वारा 03–03 पदों (तकनीकी विशेषज्ञ 01, लेखापाल 01 तथा डाटा एंट्री आपरेटर 01) की स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में राज्य में कुल 18 जिले अस्तित्व में है एवं जनवरी 2012 में अतिरिक्त 09 जिलों को मिलाकर कुल 27 जिले अस्तित्व में होंगें। अतः 11 नये जिलों के लिये पृथक से 03–03 नवीन (तकनीकी विशेषज्ञ, लेखापाल एवं डाटा एंट्री आपरेटर) के पद स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

समान मार्गदर्शी सिद्धांत 2008 के अनुसार ऐसे जिले जहाँ 25000 हेक्ट. क्षेत्रफल से ज्यादा की जलग्रहण क्षेत्र विकास परियोजनाओं स्वीकृत है, उन जिलों में जिला वाटरशेड विकास इकाई (DWDU) स्तर पर 03 पूर्णकालिक दल के स्थान पर 06 पूर्णकालिक दल कार्यरत होगा। जिस पर होने वाला व्यय भारत सरकार से प्राप्त होने वाले रिकरिंग मद में किया जायेगा। भारत सरकार के निर्देशों अनुसार SLNA द्वारा दल के चयन, अर्हता एवं मापदण्ड तैयार की गई है। प्रस्तावों को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया।

निर्णय :– प्रस्तावों को सर्वसम्मिति से अनुमोदित किया गया।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा राज्य व जिला स्तर के पदों की पूर्ति में पूर्ण राशि भारत सरकार से प्राप्त होने की स्थिति में स्वीकृति व अनुमोदन की कार्यवाही SLNA स्तर पर ही की जावें, पूर्व में यदि वित्त विभाग को नस्ती प्रेषित की गई हो तो इस आशय की विभागीय टीप वित्त विभाग को प्रेषित किए जाने के निर्देश दिये गए।

6 (ख): IWMP परियोजनांतर्गत जलग्रहण विकास दल एवं सहायक लेखापाल सह डाटा ऐण्ट्री आपरेटर के नियुक्ति विषयक

CEO-SLNA द्वारा अवगत कराया गया कि समान मार्गदर्शी सिद्धांत 2008 के अनुसार प्रत्येक वाटरशेड विकास दल में कम से कम चार सदस्य (कम से कम एक महिला) मुख्यतः कृषि, मृदा विज्ञान, जल प्रबंधन, सामाजिक संघटन तथा संस्थागत निर्माण मं व्यापक जानकारी और अनुभव रखने वाले शामिल होने चाहिए। जिनका पारिश्रमिक संबंधी व्यय परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को प्राप्त 10 % की प्रशासनिक व्यय में से प्रभारित किया जाता है। दिनांक 18.01.2010 को SLNA की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार विभाग के पत्र क्रमांक 495, दिनांक 09.02.2010 द्वारा WDT सदस्यों के मानदेय निर्धारित किए है।

वर्तमान में राज्य में शासकीय PIA की संख्या 92 तथा NGOs PIA की संख्या 23 है। शासकीय PIA मूल विभाग के कार्यो के साथ–साथ जलग्रहण परियोजना के भी कार्य WDT के रूप में बगैर किसी मानदेय प्राप्त किये करते है जिसके कारण परियोजना के कार्यो के संपादन में पर्याप्त समय नहीं दे पाते है जिससे योजना का कार्य प्रभावित होता है।

गुजरात, मध्यप्रदेश, झारखंड एवं उड़िसा राज्यों में शासकीय PIA के अधीन 04 WDT संविदा के आधार पर भारत सरकार के द्वारा जारी योग्यता अनुसार लिये जाते है। जिनका भार परियोजना के प्रशासनिक व्यय से किया जाता है। जिससे परियोजनाओं का बेहतर संचालन संभव हो रहा है।

अतः WDT के मानदेय आधारित व्यवस्था को समाप्त कर 115 IWMP परियोजनाओं में प्रत्येक परियोजनावार जलग्रहण विकास दल में 03 WDT एवं 01 सहायक लेखापाल सह डाटा एण्ट्री आपरेटर की नियुक्ति परियोजना खाते के 10% प्रशासनिक व्यय मद से संविदा नियुक्ति मापदंड व वेतनमान के नये दिशा–निर्देश प्रस्ताव तैयार किया गया है।

निर्णय :– WDT सदस्यों एवं लेखापाल सह डाटा एण्ट्री आपरेटर के नियुक्ति हेतु मापदंड व वेतनमान का अनुमोदन इस शर्त पर दिया गया की उपरोक्त वेतनमान व अर्हता की स्वीकृति वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जावें।

6(ग): वाटरशेड कमेटी के सचिवों के मानदेय का निर्धारण

CEO-SLNA द्वारा अवगत कराया गया कि समान मार्गदर्शी सिद्धांत 2008 ग्राम वाटरशेड कमेटी (WC) के सचिव होगा जिसका चयन ग्राम सभा की बैठक में किया जावेगा। यह व्यक्ति एक स्वतंत्र वेतनभोगी कार्यकर्ता होगा जो पंचायत सचिव से अलग एवं पृथक होगा। IWMP परियोजनाओं में सचिवों के कार्य को दृष्टिगत रखते हुए सचिवों का मानदेय का निर्धारण नहीं किये गये है। वाटरशेड कमेटी के अंतर्गत नियुक्त सचिवों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) अंतर्गत रोजगार सहायकों के प्रतिमाह निर्धारित मानदेय एक मुश्त

2500/– प्रत्येक माइक्रो वाटरशेडवार किया जाना प्रस्तावित है। प्रे–हरियाली एवं हरियाली परियोजनाओं के सचिवों को पूर्व निर्धारित मानदेय भुगतान किये जावेंगे। प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :– वाटरशेड समिति के सचिव का उत्तरदायित्व एवं चयन प्रकिया पर दिये गये अनुसार अनुमोदन इस शर्त पर दिया गया उपरोक्त वेतनमान व अर्हता को स्वीकृति वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जावें। साथ ही निर्देश दिए गए कि MGNREGA के सचिवों के मानदेय में भविष्य में वृद्धि होती है तो तदनुसार सचिवों के मानदेय में परियोजना लागत के प्रशासनिक व्यय को ध्यान में रखते हुए वृद्धि की जावेगी।

एजेण्डा–7 : वर्ष 2011–12 हेतु IWMP परियोजनाओं की स्वीकृति विषयक

CEO-SLNA द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2011–12 हेतु भारत सरकार से IWMP परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु 2.42 लाख हेक्टर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 17 जिलों से कुल 72 परियोजनाएं प्राप्त हुई जिनमें से 64 परियोजनाएं शासकीय पी.आई.ए. एवं 08 परियोजनाएं स्वयं सेवी संस्थाएं से प्राप्त हुई। केवल 01 स्वयं सेवी संस्था की परियोजना दिशा–निर्देश के अनुरूप पाई गई। अतः 16 जिलों के 65 परियोजनाओं (01 एनजीओ सहित) के लगभग 2,89,233.31 हेक्टयर क्षेत्रफल राज्य स्तर पर गठित PPR परीक्षण समिति के परीक्षण पश्चात् भारत सरकार के स्टेयरिंग कमेटी को प्रस्तुत करने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

स्वयंसेवी संगठन इकाई (पार्टनर एनजीओ) के लिए चयन प्रकिया के संबंध में दिशा–निर्देश कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये गये।

निर्णय :– वर्ष 2011–12 हेतु 65 IWMP परियोजनाओं के लगभग 2,89,233.31 हेक्टयर क्षेत्रफल के परियोजनाओं का विस्तृत परीक्षण समिति द्वारा करने के पश्चात् भारत सरकार के स्टेयरिंग कमेटी में प्रस्तुत करने हेतु CEO-SLNA को अधिकृत किया गया।

स्वयंसेवी संगठन इकाई (पार्टनर एनजीओ) के लिए चयन प्रकिया के संबंध में दिशा–निर्देश को कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा–8 : प्रि–हरियाली, हरियाली परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु संस्थाओं का चयन

CEO-SLNA द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में लगभग 88 प्रि हरियाली एवं हरियाली परियोजनाओं को क्रमशः मार्च 2011 तथा दिसम्बर 2012 तक समाप्त किया जाना अनिवार्य है। अतः मूल्यांकन हेतु भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं की सूची (08 विषय विशेषज्ञ एवं 08 स्वयं सेवी संस्थाओं) के अतिरिक्त अनुमोदित 03 संस्थाओं (नाबार्ड व इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के संचालक, अनुसंधान सेवाओं के अधीन वैज्ञानिक सहित) के अतिरिक्त संस्थाओं/विषय विशेषज्ञों का Empanelment किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु रूची की अभिव्यक्ति (EoI) प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय : राज्य में संचालित प्रि–हरियाली एवं हरियाली परियोजनाओं के मध्यावधि एवं अंतिम मूल्यांकन कार्य हेतु मान्यता प्राप्त संस्थाओं को पैनल में लिये जाने की कार्यवाही तत्काल आरंभ कर भारत सरकार के निर्देशानुसार समय पर परियोजना समाप्ति की कार्यवाही की जावें।

मूल्यांकन कार्य हेतु कृषि विश्वविद्यालय व कृषि विज्ञान केंद्र में जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्य के अनुभवी विशेषज्ञों, विशेष कर कृषि अभियांत्रिकी संकाय के मृदा एवं जल अभियांत्रिकी विशेषज्ञों, को भी शामिल किया जाये। साथ ही इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों को उक्त कार्यो हेतु संलग्न किया जावें।

एजेण्डा 9 : IWMP परियोजनाओं के प्रभावी संचालन के लिये तकनीकी सेवाएं प्रदान करने हेतु संस्था/कन्सोर्टियम (Consortium) का चयन।

CEO-SLNA द्वारा अवगत कराया गया कि भारत शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार परियोजना के कुल लागत की 5 प्रतिशत राशि (लगभग 30.56 करोड़ रूपये) परियोजना अवधि (लगभग 5 वर्ष) में क्षमता विकास के लिये निर्धारित है। अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिये भी परियोजना लागत की क्रमशः एक–एक प्रतिशत की राशि निर्धारित (लगभग 12.22 करोड़ रूपये) है।

झारखण्ड आंध्रप्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्यों में में IWMP के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संस्थाओं के कन्सोर्टियम (Consortium) से तकनीकी सहायता प्राप्त की जा रही है। यह व्यवस्था उपरोक्त राज्यों में काफी करगर साबित हुई है।

अन्य राज्यों की तरह IWMP परियोजनाओं के प्रभावी संचालन के लिये तकनीकी सेवाएं प्राप्त करने हेतु सहायता संघ (Consortium) का चयन किया जाना प्रस्तावित है। इस पर होने वाले व्यय का समायोजन क्षमता विकास, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के अंतर्गत उपलब्ध राशि में से की जायेगी। तकनीकी सेवाएं प्राप्त करने हेतु विस्तृत TOR अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :– प्रस्तावित सहायता संघ (Consortium) व तकनीकी सेवाएं प्राप्त करने हेतु विस्तृत TOR का अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा–10 : IWMP परियोजनाओं के प्रभावी संचालन के लिये विभिन्न स्तरों पर अधिकारों का प्रत्यायोजन एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) के अतंर्गत वित्तीय नियोजन, प्रचालन एवं प्रबंधन के संबंध में दिशा–निर्देश अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :– उक्त दिशा–निर्देश के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा–11 : नान–रिकरिंग मद से जी.आई.एस. प्रशिक्षण हेतु उपकरणों का क्रय

CEO-SLNA द्वारा अवगत कराया गया कि अंतराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर जलग्रहण क्षेत्र परियोजनाओं के निर्माण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु जी.आई.एस. का बृहद पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। जी.आई.एस. का उपयोग पी.आई.ए. स्तर

तक सुनिश्चित करने हेतु ठा. प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान के सहयोग से बृहद पैमाने पर प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। संस्थान में वर्तमान में जी.आई.एस. के उपकरण उपलब्ध नहीं है। SLNA के पास नान–रिकरिंग मद में उपलब्ध राशि से 7.00 लाख रूपये के उपकरण/साफ्टवेयर क्रय करने का अनुमोदन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :- सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा- 12 : SLNA की सदस्यता

प्रमुख सचिव, पं. ग्रा. वि. वि. द्वारा SLNA में वित्त, जल संसाधन एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिवों को भी सदस्य बनाये जाने का प्रस्ताव रखा जिसे चर्चा उपरांत सर्व सम्मिति से अनुमोदित किया गया।

अंत में मा. अध्यक्ष व मुख्य सचिव महोदय द्वारा बैठक में दिये गये निर्देशों का पालन जल्द से जल्द सुनिश्चित किये जाने के निर्देश सहित सभी सदस्यों को धन्यवाद प्रेषित कर बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

(अध्यक्ष SLNA सह मुख्य सचिव, छ.ग. शासन द्वारा अनुमोदित)

15/11/11

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राज्यस्तरीय नोडल एजेंसी (SLNA)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़

(परिशिष्ट–1)

राज्यस्तरीय नोडल एजेंसी (SLNA) की चतुर्थ बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची

1. श्री विवेक ढाँड, प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
2. श्री देवाशीष दास, सचिव व आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा, पं. एवं ग्रा.वि.वि.,
3. डॉ. आर.के. सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, SLNA,
4. श्री आलोक अवस्थी, संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण,
5. श्री आर.के. सिंह, संयुक्त सचिव, कृषि विभाग,
6. श्री के.सी. नायक, निदेशक, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, रायपुर,
7. डॉ. ए. एल. राठौर, वरिष्ठ वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय,
8. श्री जे.एस. उरकुरकर, संचालक, विस्तार सेवाएं, रायपुर,
9. श्री एस.के.पाटील, संचालक, अनुसंधान सेवाएं,
10. श्री खालिद अंसारी, सहायक प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड, रायपुर
11. श्री विवेक सिंह ठाकुर, प्रशिक्षण विशेषज्ञ, SLNA,
12. श्री के. पाणिग्राही, तकनीकी अधिकारी, SLNA,
13. श्री सूरजदेव कुमार कुशवाहा, GIS Expert, SLNA,